मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-दिसम्बर, 1999 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 16 नवम्बर, 1999 (कार्तिक 25, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार -

(क) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98,

(ख) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (म.प्र.) का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1997-98,

(ग) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 जुलाई, 1997 से दिनांक 30 जून, 1998 एवं वार्षिक लेखा वर्ष 1997-98 दिनांक 1 अप्रैल, 1997 से दिनांक 31 मार्च, 1998 तक तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन (प्रत्युत्तर सहित) वित्तीय वर्ष 1996-1997, तथा

(घ) अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 (दिनांक 1 जुलाई, 1997 से दिनांक 30 जून, 1998 तक) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री अजय सिंह, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें :-

(क) क्रमांक एफ 1-8-98-बाईस-पं.-2, दिनांक 10 मई, 1999,
(ख) क्रमांक एफ 1-3-98-बाईस-पं.-2, दिनांक 22 जून, 1999,
(ग) क्रमांक एफ 20-95-बाईस-पं.-2, दिनांक 7 जुलाई, 1999,
(घ) क्रमांक एफ 1-34-98-बाईस-पं.-2, दिनांक 16 अप्रैल, 1999,
(ड.) क्रमांक एफ 1-35-98-बाईस-पं.-2, दिनांक 22 जून, 1999, तथा
(च) क्रमांक एफ 1-5-98-बाईस-पं.-2 दिनांक 10 मई, 1999
पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री मुंशीलाल, सदस्य, मुरैना जिले में कृषकों को मिलावटी खाद, बीज व कीटनाशक दवा का प्रदाय किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले की जैसीनगर पंचायत द्वारा आवासीय पट्टे वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 145-धमतरी से निर्वाचित सदस्य, श्री हर्षद मेहता को विधान सभा के अक्टूबर-दिसम्बर, 1999 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम पंचायत सोकई, सुपलई एवं चिखली खुर्द को जनपद पंचायत केसला से जोड़े जाने,

(2) श्री मुन्नासिंह भदौरिया, सदस्य, भिण्ड जिले के ग्राम भौनपुर में विद्युत् सब स्टेशन स्थापित किये जाने,

(3) श्री नित्य निरंजन खम्परिया, सदस्य, जबलपुर जिले के सिहोरा-सिलौड़ी मार्ग का चौड़ीकरण एवं डामरीकरण कराये जाने,

(4) श्री राजेन्द्र भारती (दतिया), सदस्य, जिला चिकित्सालय दतिया का उन्नयन कराये जाने, तथा

(5) श्री जयसिंह मरावी, सदस्य, शहडोल जिले के-

(क) ग्राम निगवानी में पशु औषधालय खोले जाने,

(ख) ग्राम पंचायत बनगवाँ, डोला तथा डूमरकछार को नगर पंचायत बनाये जाने, एवं

(ग) राजनगर कालरी क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले जाने, के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. विकलांग जन अधिनियम, 1996 के तहत् राज्य स्तरीय समन्वय समिति के लिये विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन

श्री डोमनसिंह नगपुरे, राज्य मंत्री समाज कल्याण, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"यह सभा, उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, विकलांग जन अधिनियम, 1996 की धारा 13 की उपधारा (2) (जी) की अपेक्षानुसार राज्य स्तरीय समन्वय समिति के लिए विधान सभा के सदस्यों में से दो सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो."

7 संकल्प

निर्धारित समय 3 घंन्टे

श्री रविन्द्र चौबे, सामान्य प्रशासन मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"इस सदन का यह मत है कि पिछड़े वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण हेतु संविधान में आवश्यक प्रावधान करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया जाय."

8. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घन्टा 30 मि.

प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, सोनेराम कुशवाह, हरीशंकर जायसवाल तथा श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्यगण, चर्चा उठायेंगे.

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 15 नवम्बर, 1999